

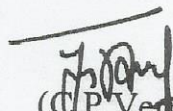
OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR KANGRA AT
DHARAMSHALA

No. 1654 /DRA

Dated 28-06-2017

CORRIGENDUM

In Continuation to this office order no. 919/DRA dated 29-03-2017 the area mentioned in second line of para (a) i.e. 0-15-30 Hect. may be read as 0-51-30 Hect instead of 0-15-30 Hect.


(C.P. Verma)
District Collector
Kangra at Dharamshala

Office of the Deputy Commissioner
District Kangra (H.P.)

Proceedings of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.

A meeting of the District Level Committee of Kangra District, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship /Chairpersonship of Sh. Rakesh Sharma Add Distt Magistrate Kangra on 14-10-2014 at 11.00 A.M. at Dharmshala in which the application (s) claiming rights in 00-51-30 hect. forest area under FRA 2006 of the following applicant, duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee (s) of Sub-Division Kangra was discussed to consider the same for admission by the District Level Committee

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the following decisions were taken on application:

Name of Applicant	Decision(Admitted/Rejected)
Asstt Engineer, HPPWD	
Kotla, Distt Kangra	Admitted

Place : Dharmshala.

Commr
(C.Paulrasu, IAS)
Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee, Kangra District.

No./723.../DRA, Dated : 27-12-14

Office of the District Collector
Kangra at Dharmshala

No. 919 /DRA

Dated: 29 March, 2017

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Govt. of India's letter No.11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August, 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dt 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear project, it is certified that 0-51-30 Hectares situated in Mohal Kherian of forest land proposed to be diverted in favour of Himachal Pradesh Public works Department Jawali in Kangra District for construction of Kherian to Bakan Road Km 0/0 to 1/900 in Tehsil Jawali Distt Kangra falls within jurisdiction of Nurpur Forest Division.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0-15-30 hect. of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha(s), Sub Divisional Level Committee(s) and the District Committee are enclosed as annexure 1 to . As per report received from Gram Panchyat & SDO (c) Jawali there are no claims pending under them from anyone as per Scheduled Tribes and forest dwellers act 2006.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized right of primitive Tribal group and pre agriculture communities.

(C.R. Verma)

I. A. S

District Collector
Kangra at Dharamshala

कार्यालय उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला
दिनांक 23.02.2017 को अनुसूचित जनजाति एवं अन्य वन परम्परागत निवासी एक्ट 2006 के अर्न्तगत प्राप्त मामलों में गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक की कार्यवाही

जिला स्तरीय समिती अनुसूचित जनजाति एवं अन्य वन परम्परागत निवासी एक्ट 2006 की बैठक दिनांक 23.02.2017 को श्री सी0पी0 बर्मा, भा0प्र0से0 उपायुक्त कांगड़ा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई । जिसमें सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के गठित समिति के सरकारी व गैर सरकारी निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

1 अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला	सचिव
2 वन मण्डल अधिकारी धर्मशाला।	सदस्य
3 वन मण्डल अधिकारी पालमपुर।	सदस्य
4 वन मण्डल अधिकारी नूरपुर।	सदस्य
5 सहायक अरण्यपाल वन देहरा।	सदस्य
6 श्री गगन सिंह	सदस्य
7 श्री मति गायत्री देवी	सदस्य

सर्वप्रथम उपायुक्त महोदय ने बैठक में उपस्थित समस्त सरकारी तथा गैर सरकारी सदस्यों का स्वागत किया तथा बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की। बैठक में निम्नलिखित कार्य व लोक निर्माण विभाग से विभिन्न सड़कों के निर्माण हेतु उक्त एक्ट के अर्न्तगत प्रमाण पत्र जारी किये जाने बारे आवेदन उपमण्डल स्तरीय कमेटी धर्मशाला, कांगड़ा, , नूरपुर ,पालमपुर ,ज्वालामुखी,ज्वाली से आवेदन प्राप्त हुऐ ।

उपमण्डल अधिकारी(ना0)ज्वाली से निम्नलिखित सड़कों के निर्माण हेतु आवेदन प्राप्त हुऐ:-

- 1 लिंक रोड खैरियां से वकाहन ।
- 2 लिंक रोड नाना से जोगी आवाडी गुजरेड़ा ।

उपमण्डल अधिकारी (ना0) नूरपुर से निम्नलिखित सड़क के निर्माण हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है:-

- 1 लिंक रोड वडूखर से खरोट मालहन्ता रोड ।

उपमण्डल अधिकारी(ना0) धर्मशाला से निम्नलिखित मामले प्राप्त हुऐ:-

- 1 वस अडडा धर्मशाला के बिस्तार हेतु।
- 2 भद्रकाली हाइड्रो प्रोजेक्ट के निर्माण हेतु।

उपमण्डल अधिकारी(ना0) कांगड़ा से निम्नलिखित मामला प्राप्त हुआ है।

- 1 132 के0वी0 ट्रांसमिशन लाईन सब स्टेशन चम्बी तहसील शाहपुर।

उपमण्डल अधिकारी(ना0) ज्वालामुखी से निम्नलिखित मामला प्राप्त हुआ है:-।

- 1 पुलिस चौकी मझीण ।

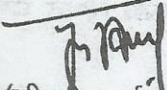
उपमण्डल अधिकारी (ना0) पालमुपर से निम्नलिखित मामला प्राप्त हुआ है।

- 1 पुलिस ट्रेनिंग सैन्टर डरोह तहसील पालमपुर ।

बैठक में प्रस्तुत उपरोक्त समस्त मामलों को ध्यानपूर्वक देखा गया। उपमण्डल स्तरीय समिति से प्राप्त बैठक की कार्यवाही से पाया गया कि उपरोक्त मामलों में किसी समुदाय या व्यक्ति द्वारा कोई दावा पेश नहीं किया गया है तथा कमेटी के किसी भी सदस्यों द्वारा कोई एतराज नहीं जताया गया। अतः समस्त मामले जिला स्तर की बैठक में परित कर दिये गये हैं जिस बारे प्रमाण पत्र जारी की दिये जाएंगे।

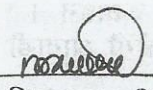
तत्पश्चात उपायुक्त महोदय ने समस्त उपस्थित सदस्यों का धन्यवाद करके बैठक को समाप्त कर दिया।

स्थान—धर्मशाला
दिनांक फरवरी, 2017


(सी०पी०वर्मा, भा०प्र०से०)
उपायुक्त कांगड़ा एवं अध्यक्ष
जिला स्तरीय समिति

पृष्ठांकन संख्या / डी०आर०ए० दिनांक:
प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित है—

- 1 अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला।
- 2 सहायक अरण्यपाल वन, देहरा।
- 3 वन मण्डल अधिकारी धर्मशाला, पालमपुर, नूरपुर।
- 4 श्री गगन सिंह गौरा गांव वंगार डा० वाह तहसील शाहपुर जिला कांगड़ा।
- 5 श्री मति गायत्री कपूर धौलाधार क्लोनी सी-41 पोस्ट ऑफिस दाडी लोहर बड
वडोल तहसील धर्मशाला जिला कांगड़ा।


अति० जिलादण्डाधिकारी
कांगड़ा स्थित धर्मशाला।

OFFICE OF THE SDO CIVIL, JAWALI
DISTRICT KANGRA (H.P)

Proceedings of the meeting of the Sub-Division level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006 .

A meeting of the Sub-Division level Committee of JAWALI Sub- Division, constituted under FRA,2006 was held under the chairmanship /chairpersonship of Mr/~~Ms~~. MOHAN DATT SHARMA SDO(Civil) JAWALI on 26-7-2014 at 10.00 AM/PM at JAWALI (Place) in which the application(s) claiming rights in 00-51-30 Hect. forest areas under FRA,2006, of the following applicant(s), duly processed and recommended by the Forest Right Committee (s) of DOL Gram Sabha, were discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the following decisions were taken on each application :-

Name of Applicant	Decision (Recommended/not Recommended)
-------------------	--

1.

2.

3.

Place: JAWALI

Date :

SDO (Civil)-cum-Chairman/Chairperson
Sub-Division level Committee,
JAWALI Sub-Division.

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा डोल

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 08

दिनांक 11-07-2014

वन अधिकार समिति, ग्राम सभा डोल की बैठक आज
दिनांक को बजे, स्थान में

श्री/श्रीमति रेखा देवी की अध्यक्षता में की गई जिसमें लो. वि. प्र. 34

मा. प्र. 34 गांव/गावों के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों

से अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम

, 2006 के अन्तर्गत U-84 Dal C-18 जंगल/वन क्षेत्र से सम्बन्धित वन

अधिकारों के दावे हेतु प्राप्त आवेदनों पर चर्चा की गई, जिसमें स. प्र. 34

10/07/14 के निर्माण के लिए 0-51-30 हैक्टेयर वन के उपयोग भूमि की मंजूरी प्रस्तावित है।

वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त यह समिति इस नतीजे पर पहुंची कि श्री/श्रीमति रेखा देवी का

जंगल/वन क्षेत्र में U-84 Dal C-18 के लिए अधिकार हेतु दावा नियमानुसार

सही पाया गया/सही नहीं पाया गया। तदनुसार समिति इस दावे को पारित करते हुए इसे उप

खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती हैं/तदनुसार समिति इस दावे को निरस्त करती है।

स्थान डोल ग्राम पंचायत डोल ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी
दिनांक वि. ख. नगरोटा सरियाँ ग्राम पंचायत

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।



प्रधान
ग्राम पंचायत डोल
वि. ख. न-सुरियाँ
Veena Kere

प्रधान रेखा देवी
वन अधिकार समिति, डोल
सा. प्र. 34 कागजा (वि. प्र.)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा डोल
प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 08

दिनांक 11-07-2014

ग्राम सभा डोल की बैठक आज दिनांक 11-07-2014 को
बजे, स्थान डोल में श्री/श्रीमति रेखा देवी की अध्यक्षता में
की गई जिसमें रेखा देवी गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत
वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत रेखा देवी जंगल/वन
क्षेत्र में (जिसमें रेखा देवी विभाग द्वारा रेखा देवी के निर्माण के लिए रेखा देवी
भूमि के उपयोग की मजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की
सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ
प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का
दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क0स0	* पात्र ग्राम वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1.			
2.			

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।
उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क0स0 * पात्र ग्राम वासी का नाम

1.
2.
तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।

यह इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार U-84000 जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन
अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ U-84000

स्थान डोल
दिनांक रेखा देवी

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा डोल

वन निवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए
आवेदन किया है।

प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के
उपयोग की अनुमति दी जानी है।



प्रधान
ग्राम पंचायत डोल
वि.स. रेखा देवी

प्रधान रेखा देवी
वन अधिकार समिति, डोल
त0 ज्योती जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

कार्यालय ग्राम पंचायत डोल
विकास खण्ड नगरोत्ता दारंग जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

अध्यक्षता श्री/श्रीमति वीना राणा

दिनांक 11-07-2014

गणपूर्ति 9/19

प्रस्ताव संख्या 08

विषय: लोहरा दि. 24 मई 2014 को वन भूमि विभाग/संस्था को सडक खोदने से वन
क्षेत्र के निर्माण हेतु वन भूमि
जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0-51-30 हैक्टियर वन भूमि के उपयोग की
मंजूरी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु।

ग्राम पंचायत डोल की बैठक आज
दिनांक 11-07-2014 को डोल स्थान डोल
में की गई, जिसमें लोहरा दि. 24 मई 2014 को वन भूमि विभाग/संस्था
को सडक खोदने से वन क्षेत्र के निर्माण हेतु वन भूमि
जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0-51-30 हैक्टियर वन
भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि ग्राम पंचायत को उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह परित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/कर ली गई है तथा प्रस्तावित 0-51-30 हैक्टियर वन भूमि को सडक खोदने से वन क्षेत्र के निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा डोल की सहमति दी जाती है।

स्थान डोल
दिनांक 11-07-2014
ग्राम पंचायत डोल
वि. ख. नगरोत्ता दारंग एवं विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत



प्रधान
ग्राम पंचायत डोल
वि. ख. न. सुरिवा
Veeru Rana

प्रधान रेखा देवी
वन अधिकार समिति, डोल
डोल व्यापक जिला कांगड़ा (हि.प्र.)